इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 226] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 मई 2017—वैशाख 28, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मई 2017

क्रमांक एफ-5-28-2017-1-पचपन.—राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री/डिप्लोमा) प्रवेश नियम, 2017 के नियम क्रमांक 12 (ख) (i) को निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम–12 (ख) सीट लीविंग बॉड (Seat Leaving Bond) :–

(i) ऑल इंडिया कोटे से आवंटित सीट पर प्रवेश के समय अभ्यर्थी को शपथ पत्र (प्रोफार्मा कमांक 5) प्रस्तुत करना होगा कि वह प्रवेशित सीट पर अध्ययनरत होकर पाठ्यक्रम पूर्ण करेगा तथा सीट लीविंग बाण्ड निष्पादित करना होगा कि यदि वह एम0पी0 स्टेट कोटा पी.जी. काउसिंलिंग के अंतिम चरण के अंतिम दिन के पश्चात्

अथवा उसके पश्चात पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व कभी भी किसी भी कारण से सीट से त्यागपत्र देता है अथवा उसे पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जाता है तो वह आर्थिक दंड स्वरूप रू. 10.00 लाख (रूपये दस लाख) संबंधित महाविद्यालय की स्वशासी समिति के बैंक खाते में जमा करेगा। यह राशि भू–राजस्व बकाया की तरह वसूल की जा सकेगी एवं तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज वापस किये जायेंगें। इसके अतिरिक्त डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी त्यागपत्र देने की दिनांक से अथवा निष्कासन की दिनांक से क्रमशः आगामी तीन वर्ष एवं दो वर्ष के लिये राज्य की शासकीय/निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की पी.जी. सीट्स पर प्रवेश के लिये अपात्र होंगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागीरथ सुनहरे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.